

23

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
20.09.2019

मिसल नम्बर
39/2015/प्रा.पत्र/2015

तारीख दायरा
20.04.2015

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम:

1. श्री उमेश यादव पुत्र गोविन्दराम यादव एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द स्वीट्स तहसील कार्यालय के पास देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स गोविन्द स्वीट्स तहसील कार्यालय के पास देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)
उपस्थित—

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन ला गूर्जर, खा0सु0आ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:—निर्णय—:

दिनांक 20.09.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2014 को समय 1.02 बजे प्रतिष्ठान मैसर्स गोविन्द स्वीट्स तहसील कार्यालय के पास देवली जिला टोंक पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री उमेश यादव पुत्र गोविन्दराम यादव एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द स्वीट्स तहसील कार्यालय के पास देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में लगभग 10 कि0ग्रा0 मावा (Khoya) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री उमेश यादव को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता उमेश यादव एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में खे गये लगभग 10 कि0ग्रा0 मावा में से एक ट्रे में रखे मावा को पूर्णतया होमोजिनियस कर एक ट्रे में 1.00 कि0ग्रा0 मावा (Khoya) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री उमेश यादव को रू0 200.00/-अक्षर दो सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा 1.00 कि0ग्रा0 के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी कौंच की चार शिशियों में प्रत्येक शिशी में 250-250 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदे डालकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-823 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. I-823 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



उमेश यादव के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जांचे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं० 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./34/ दिनांक 10.12.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/569/एफएसएसए./2014/579 दिनांक 26.11.2014 के अनुसार उमेश यादव से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मावा (Khoya) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मावा (Khoya) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा (Khoya) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा (Khoya) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री उमेश यादव पुत्र गोविन्दराम यादव एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द स्वीट्स तहसील कार्यालय के पास देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पास देवली जिला टोंक राज० पर शास्ती 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2019 से एक माह के अन्दर अन्तर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश हनु शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०